प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/3/26	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये संक्षेप में निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या नया 1 पुराना 1 की आराजी खसरा सं0 446 रकबा 0.0809 है0 (पुराने खसरा सं0 309/1), खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 (पुराने खसरा सं0 43/1), खसरा सं0 286 रकबा 0.5180 है0 (पुराने खसरा सं0 174/1), खसरा सं0 287 रकबा 0.1781 है0 (पुराने खसरा सं0 174/2), खसरा सं0 383 रकबा 0.1457 है0 (पुराने खसरा सं0 157 मिन) वाके ग्राम ठिकरिया चारणान में स्थित है उक्त आराजी पर प्रार्थी कानूनी रूप से खातेदार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी का खातेदार राजस्थान सरकार अंकित है। राजस्थान सरकार का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित होने के बावजूद उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। न ही अप्रार्थी का कब्जा है। उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता श्री हरि सिंह गत 50 वर्ष से काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु उक्त आराजी पर अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होने से लगान पिलाई व अन्य आर.टी. एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा है। हाल ही में अप्रार्थी के क्रमचारी प्रार्थी की भूमि पर आये और नाप चोक कर कहा कि इस भूमि पर पटवार मण्डल का निर्माण करेगें । इस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने पर वो लोग वहा से चले गये। प्रार्थी की जानकारी के अनुसार उक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाये जाने का आवेदन लंम्बित होने के दोरान भी पटवार हल्का को जमीन आवंटन कर दी गयी एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। यदि प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगीं। जिसकी भरपाई किसी भी रूप में सम्भव नही हो पायेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा सं0 446 रकबा 0.0809 है0 (पुराने खसरा सं0 309/1), खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 (पुराने खसरा सं0 43/1), खसरा सं0 286 रकबा 0.5180 है0 (पुराने खसरा सं0 174/1), खसरा सं0 287 रकबा 0.1781 है0 (पुराने खसरा सं0 174/2), खसरा सं0 383 रकबा 0.1457 है0 (पुराने खसरा सं0 157 मिन) वाके ग्राम ठिकरिया चारणान पर किसी प्रकार की कोई निमार्ण या अन्य कोई गतिविधि नही करे। न ही प्रार्थी को भूमि से बेदखल करे। रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। दोराने बहस पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस आराजी बाबत स्थगण आदेश चाहा गया है। वह आराजी सरकार खातेदार खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड है जिस पर समस्त अधिकार राज्य सरकार में निहित है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिसे उक्त आराजी पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही होने से खातेदार सरकार के विरुद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा पाने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी	

[signature]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड होने से उक्त आराजी पर समस्त खातेदारी अधिकारी राज्य सरकार में निहित है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा सं0 446 रकबा 0.0809 है0 (पुराने खसरा सं0 309/1), खसरा सं0 293 रकबा 0.1214 है0 (पुराने खसरा सं0 43/1), खसरा सं0 286 रकबा 0.5180 है0 (पुराने खसरा सं0 174/1), खसरा सं0 287 रकबा 0.1781 है0 (पुराने खसरा सं0 174/2), खसरा सं0 383 रकबा 0.1457 है0 (पुराने खसरा सं0 157 मिन) वाके ग्राम टिकरिया चारणान पर केवल मात्र अधिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है जिसे उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार निहित नही होने से वह खातेदार सरकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखित दफ्तर हो।	